'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.02.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 6 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 फरवरी, 2018

दलित उत्थान का नया विकल्प

ब्रिटिश इंडिया के समय ही सरकारी नौकरी एवं राजनीति में अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण मिल गया था और संविधान निर्माण के समय कमोवेश यह प्रावधान समाहित कर लिए गये थे। इससे शासन-प्रशासन में भागीदारी तो सुनिश्चित हुई लेकिन आर्थिक उत्थान इन वर्गों का समयान्तराल हो नहीं पा रहा था। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 1974 में ट्राईबल सब प्लान लाया गया ताकि इनका आर्थिक विकास हो सके। इनकी आबादी के अनुसार योजनागत बजट की राशि ट्राईबल सब प्लान के तहत देना था। 1979 में शेड्यूल कास्ट सब प्लान लाया गया और इसका भी उद्देश्य ट्राइबल सब प्लान जैसा ही था। कभी भी योजनागत बजट से इनकी आबादी के अनुरुप धनराशि आवंटित नहीं की गयी। जो भी धनराशि आवंटित की गयी, क्या उद्देश्य की प्राप्ति हो सकी, इस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा और रहेगा भी।

आम लोगों को यह भ्रम है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण दलित और आदिवासी के आर्थिक उत्थान का उपाय है जबकि वह शासन-प्रशासन में भागीदारी के लिए है। शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राईबल सब प्लान मूल रुप से इन वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया। देखा गया है कि धनराशि का आवंटन 50 प्रतिशत के ही आसपास रहता है और उसमें भी जो दिया जाता है उसको सही रुप से खर्च नहीं किया जाता। इस पैसे को सही रुप से खर्च तभी माना जा सकता है जब दलित और आदिवासी व्यक्ति, परिवार और बस्ती पर ही किया जाए, लेकिन प्रायः ऐसा पाया नहीं जाता। इस पैसे से कहीं पर पुल, जेल या सड़क आदि बना दिया जाता है जो कि इसका उद्देश्य ही नहीं है। कई राज्य सरकारें तो खर्च ही नहीं कर पाती हैं या दुरुपयोग करती हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने एक कठोर कानून बनाकर इस धनराशि के सही उपयोग का प्रयास किया। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी ऐसे प्रयास किये। शुरु में योजनागत बजट की राशि ज्यादा होती थी और धीरे-धीरे यह संतुलन बिगड़ता गया और अब तो गैर योजनागत बजट की राशि और ज्यादा बढ़ गयी। 2017-18 से योजना एवं गैर योजना को हटा दिया गया। इससे धनराशि आवंटन में कोई अंतर नहीं पड़ा और स्थिति पूर्व जैसी रही। वर्ष 2018-19 की कुल बजट की राशि 24,42,213 करोड़ रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए बजट में 56,619 करोड़ और आदिवासियों को 39,135 करोड़ रखा गया है।

दशकों से यही दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा है। संसद से लेकर सड़क तक समय-समय पर आवाज़ उठती रही कि ये योजनायें अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। कई सुझाव भी आये लेकिन दृष्टिकोण में परिवर्तन न तो योजना आयोग ने किया

डॉ. उदित राज

और न ही नीति आयोग ने। एक सुझाव बराबर रहा कि नीति आयोग, भारत सरकार के विभाग, राज्य सरकार एवं जिलास्तर पर इन्हीं वर्गों की सहभागिता और निगरानी में योजनायें लागू की जाएं। इस मांग पर कोई विचार न किया जा सका। समय-समय पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारें चिंतित दिखी और कुछ कदम भी उठाये परन्तु कोई बदलाव नहीं दिखा। इतने दिनों तक जब आवश्यक परिणाम नहीं मिले तो क्या कोई वैकल्पिक योजना बनाई जाये जिससे दलितों और आदिवासियों का आर्थिक क्षेत्र में उत्थान हो सके। सैकड़ों सरकारी योजनायें जो गरीबों को सब्सिडी या अन्य माध्यम से दी जाती थी लेकिन भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही की निष्क्रियता की वजह से वह लाभ पहुँच नहीं पाता था। इसमें बदलाव किया गया और सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजा जाने लगा। ऐसा प्रयोग अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में भी किया जाना चाहिए।

बजट 2018-19 का विश्लेषण करने पर पता लगा कि अनुसूचित जाति की 56,619 में से 28,697.74 करोड़ रुपये की लक्ष्यगत योजनायें हैं। इस टार्गेटेड स्कीम को न छेड़ कर शेष 27,921.26 करोड़ रुपयों को यदि वेंचर कैपिटल बना दिया जाये और उससे ब्लू चिप कंपनीज का डिवेंचर अनुसूचित जाति के लिए खरीद लिया जाये तो मासिक या त्रैमासिक निश्चित आय मिलेगी। 27,921.26 करोड़ रुपये को लोटरी या रैंडम बेसिस पर अनुसूचित जाति पर प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपया वेंचर कैपिटल से कंपनी का डिवेंचर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से खरीद कर के दे दिया जाये तो उसकी नियमित आय 7500 प्रति माह हो जाएगी और इतने पैसे निवेश के लिए भी उपयोग हो जायेंगे। यदि प्रति दलित को 10 लाख का वेंचर कैपिटल के हिसाब से 7500 प्रति माह की दर से 2,79,210 दलित व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुँचाया जा सकता है। इसी तरह से जनजाति का पैसा 39,135 करोड़ की राशि में से 19,613 करोड़, जो टार्गेटेड स्कीम के तहत आता है, घटा दिया जाये तो 19,522 करोड़ राशि बचती है। प्रति आदिवासी पर यदि 10 लाख रुपये का वेंचर कैपिटल बना दिया जाये तो 1,95,220 लोगों की नियमित आय हो जाएगी। 490 करोड़ से एक दलित हब बना है ताकि इनको व्यवसायी बनाया जा सके लेकिन देखा जा रहा है कि सम्मेलन और बैठक में भी पैसे की बर्बादी हो रही है। 17 फरवरी को नागपुर के कांफ्रेंस में लगभग 40 लाख खर्च करने की सम्भावना है। यहाँ तक कि 50 लाख रुपये तक एक उद्घाटन सम्मेलन में खर्च किया जा चुका है। सम्मेलन में खर्च की रफ़्तार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस पैसे की बर्बादी ही होगी। क्यों न इसे भी वेंचर कैपिटल बना दिया जाये जिससे लगभग 5000 दलितों को नियमित आय की व्यवस्था हो जाएगी।

***

दलित विकास

राष्ट्र विकास

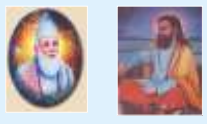

शिक्षित बनो! संघर्ष करो!! संगठित रहो!!!

अब समय आ गया कि पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ें

27 फरवरी को डीओएम परिसंघ का पहला सम्मेलन मावलंकर हॉल दिल्ली में

दलित ओबीसी एवं माइनॉरिटी परिसंघ (डीओएम) का पहला सम्मेलन 27 फरवरी, 2018 को अपरान्ह 2 बजे से सायं 7 बजे तक मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नियर पटेल चौक मैट्रो, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि 26 दिसंबर की रैली से पहले डीओएम परिसंघ की स्थापना माननीय डॉ. उदित राज के नेतृत्व में की जा चुकी है। इसके द्वारा दलित ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जानी है। लंबे समय से परिसंघ में ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों को जोड़े जाने की आवाज उठ रही थी लेकिन अनूसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ मुख्य रुप से अनुसूचित जातियों व जन जातियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया था इसलिए इसमें ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों को शामिल करने में मुश्किल आ रही थी। इसी के मद्देनजर उपरोक्त संगठन की स्थापना की गयी है। यह संगठन पूरी तरह से गैर राजनैतिक है और किसी भी राजनैतिक पार्टी से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

देश में चल रहे समस्त दलित, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों के संगठनों के प्रतिनिधियों एवं समाज के सक्रिय बुद्धिजीवियों को उपरोक्त सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अग्रिम सूचना नीचे लिखे नंबरों पर दें जिससे कि उचित व्यवस्था की जा सके।

परमेन्द्र, संयोजक, मो. 8826180767, **बाबू लाल, सचिव, मो. 9918023024**

(गतांक का शेष)

महान दलित विभूतियों का तिरस्कार?

आर. डी. भारद्वाज

गई दलितों की व्यथा को ढंग से सुना और समझा और तब देश के साथ-साथ दलितों को भी गुलामी की जंजीरों से काफी हद तक आजादी मिल गई, वार्ना इस से पहले वाले हजारों राजे-महाराजे तो इन ब्राह्मणों की बनाई गई वर्णव्यवस्था के अन्तर्गत ही अपना राजपाठ व प्रसाशन चलाते रहते और उनके राजपाठ के चलते दलितों के कल्याण व उत्थान की कल्पना करना भी नामुमकिन सा ही था।

सावित्रीबाई फुले :

डॉ अम्बेडकर की तरह ही एक महिला विद्वान, सावित्रीबाई फुले (पत्नी ज्योतिबा फुले) एक महान दलित विद्वान, समाज सुधारक और देश की पहली महिला शिक्षिका, समाज सेविका, कवि और वंचितों की आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी, 1831 में एक दलित परिवार में हुआ था। 1840 में 9 साल की उम्र में उनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुई। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक-नारी मुक्ति अन्दोलन की पहली नेता थीं। उन्होंने 28 जनवरी, 1853 को गर्भवती बलात्कारर पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। सावित्रीबाई ने उन्नीसवीं सदी में छुआ-छूत, सतीप्रथा, बाल-विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियां के विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाई और अपने पति के साथ मिलकर उस पर काम किया। सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जा रही एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की अपने घर में पैदाइश करवाई और उसके बच्चे यशंवत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल-पोसकर इन्होंने बड़ा किया और उसे डॉक्टर बनाया। ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यो को पूरा करने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च, 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान ही हो गयी थी। उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में ही बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति व्यवस्था तोड़ने और ब्राह्मण ग्रंथों को फेंकने की बात करती हैं, क्योंकि यह पुस्तक हमेशा से ही दलितों को नीचा दिखाते आये हैं और इनकी प्रगति और विकास के मार्ग में बहुत बड़ी वाधा बनते आए हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि उनके इतने बड़े संघर्ष और बलिदान को भूलकर जब अध्यापक दिवस मनाने की घोषणा की गई, तब सरकार में किसी को यह ध्यान क्यों नहीं आया कि यह तो सावित्रीबाई के जन्म दिवस- अर्थात 3 जनवरी को ही मनाया जाना चाहिए था, न कि 5 सितंबर को।

उस वक्त जब औरतों को आदमियों की पैर की जूती बराबर ही समझा जाता था, सावित्री जी के प्रसिद्ध विचार पूरे समाज को एक नई दिशा और चेतना देने वाले इस प्रकार थे- जागो, उठो, पढ़ो-लिखो, बनो आत्मनिर्भर, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है, ज्ञान के बिना आदमी पशु समान ही रह जाते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दलित और शोषित समाज के दुखों का अंत केवल पढ़-लिख कर शिक्षित बनने, धन कमाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से ही होगा। उस वक्त के हिसाब से एक दलित परिवार से और बिलकुल ही निम्न स्तर से उठकर इस महान महिला के समाज सुधार को ध्यान में रखते हुए सभी दबे कुचले परिवारों के शोषित लोग सावित्रीबाई के जन्म दिवस (तीन जनवरी) को ही शिक्षक दिवस के रूप में मानते और मनाते हैं, न कि 5 सितम्बर को, क्योंकि श्री राधाकृष्णन का पूरे समाज के लिए योगदान सावित्रीबाई के योगदान और बलिदान के सामने बिलकुल फीका पड़ता ही नजर आता है।

मेजर ध्यानचन्द :-

जब दलितों के साथ निरन्तर हो रहे अत्याचार, शोषण और तिरस्कार की बात चलती है तो हम हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यान चन्द को कैसे भूल सकते हैं। ध्यानचन्द का जन्म 29 अगस्त, 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह भारतीय फौज में नौकरी करते थे और हॉकी के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे। उनको तीन बार ओलिंपिक खेलों में भाग लेने का अवसर मिला 1928,1932 और 1936 में। अपने पूरे खेल जीवन के दौरान उन्होंने 400 से ज्यादा गोल किये और हमेशा अपनी टीम को जीत दिलाई। खेल के दौरान ध्यानचन्द इतनी चुस्ती-फुर्ती,स्फूर्ति और कुशलता के साथ खेलते थे और उनके इतने ज्यादा गोल करने की क्षमता की वजह से ऐसा कहा जाने लग गया कि हॉकी एक खेल नहीं है, बल्कि एक जादू है और ध्यान चन्द इसके महान जादूगर। 1936 ओलंपिक खेलों में भारत का फाइनल मैच जर्मनी के साथ होना था और यह मैच देखने के लिए उस वक्त के जर्मनी के चांसलर अडोल्फ हिटलर भी स्टेडियम में मौजूद थे और वह चाहते थे कि किसी भी तरह जर्मनी यह फाइनल मैच जीत जाए। मगर ध्यान चन्द के होते हुए यह कहां सम्भव था, और अंततः भारत ने जर्मनी को 8-1 के मार्जिन से हरा दिया। इस मैच में अकेले ध्यानचन्द ने 6 गोल दागे और जर्मनी के चांसलर हिटलर ध्यान चन्द की खेल कुशलता और शैली से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ध्यानचन्द को अपने घर खाने पर बुलाया। खाने के दौरान हिटलर ने ध्यान चन्द से पूछा कि वह हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हैं? ध्यानचन्द ने जवाब दिया कि वह आर्मी में लान्सनायक हैं। फिर हिटलर ने ध्यानचन्द को इंडिया छोड़कर जर्मनी में आकर बसने का निमंत्रण दिया और यह भी लालच दिया कि वह ध्यान चन्द को जर्मनी की सेना में जनरल बना देगा, एक बहुत बड़ी कोठी भी उसे दी जाएगी, बस वह आकर वहीं बस जाये और जर्मनी की टीम को हॉकी खेलना सिखाये। मगर ध्यानचन्द ने हिटलर का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वह अपने देश को बहुत प्यार करता है और अपना देश छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते।

मगर अपने देश में अन्य दलित लोगों की तरह, ध्यानचन्द के साथ भी जाति आधारित भेदभाव अक्सर होते रहते थे। जैसे कि खिलाडियों को जीतने के बाद जो इनाम में दी जाने वाली धन राशि की घोषणा होती है, वह भी उस खिलाड़ी की जाति जानकर ही होती है। सारी उम्र ध्यानचन्द का हॉकी के प्रति समर्पण, उसकी अपने देश को जीत दिलाने की लगन व कार्य-कुशलता को देखते हुए उसको बहुत पहले खेलों में भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मगर ऐसा हरगिज नहीं हो सका, क्योंकि किस-किस खिलाड़ी को क्या-क्या इनाम और मान-सम्मान देना है, इसका निर्णय तो सत्ता में शिखर पर बैठे बड़े अधिकारी और नेतागण ही करते हैं और यह निर्णय लेते समय वह खिलाड़ी की जाति देखना कभी नहीं भूलते। अंत में जब 2014 में यह निर्णय लिया गया कि भारत रत्न के लिए खेलों को भी शामिल किया जाना चाहिए, उस वक्त भी ध्यानचन्द के साथ चार-पांच दशकों से होते रहे अन्याय को समाप्त करने की बजाय, एक बड़े दलित उम्मीदवार को छोड़कर एक ब्राह्मण (सचिन तेंदुलकर) को यह सम्मान दे दिया गया। और इस तरह ध्यानचन्द के साथ हो रहा तिरस्कार का सिलसिला उसके मरणोप्रांत अब भी जारी है। अपने ही गांव झाँसी में 3 दिसंबर, 1979 को उनकी मृत्यु हो गई।

मोहम्मद अली :-

ऐसा नहीं है ऐसे जाति-पाति आधारित भेदभाव, तिरस्कार और उनकी प्रतिभा की अवेहलना हमारे देश में ही होती है। विश्वप्रसिद्ध अमरीकी बॉक्सिंग चौंपियन मोहम्मद अली (17 जनवरी, 1942 से 3 जून, 2016) को भी अपने पूरे जीवनकाल में बहुत बार रंगभेद का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद अली, जोकि जन्म से एक ईसाई था और उसका नाम कैसियस मार्केलॉस क्ले था, को स्कूल के दिनों में अपने काले रंग की वजह से अनेकों बार पीड़ा, भेदभाव, तिरस्कार और भद्दी-भद्दी टिप्णियां सुननी पड़ती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिया और कैसियस क्ले से मोहम्मद अली बन गया। 25 फरवरी, 1964 को अपने से पहले बड़े मुक्केबाज चार्लस सोनी को, फ्लोरिडा में हराकर मोहम्मद अली बॉक्सिंग चौंपियन बन गया। विश्व चौंपियन बनने के बाद उनके पास पैसा, शोहरत, बड़ी कोठी इत्यादि तो सब आ गए थे, मगर उसके काले रंग की वजह होने वाले निरंतर तिरस्कार से उनका पीछा नहीं छूटा।

एक बार की बात है कि मोहमद अली की शादी की सालगिरह का अवसर था और उसके बच्चों की जिद्द थी कि उनके पिता बच्चों को शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल में खाना खिलाएं। मोहम्मद अली ने बच्चों को बहुत समझाया कि जो खाने की उनकी इच्छा है, वह बता दें और इसका प्रबंध वह घर में ही कर देंगे। मगर बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि वह समझ सकें कि उनके पिता उनको बड़े होटल में क्यों नहीं लेजा रहे। खैर, बच्चों की जिद्द के आगे नतमस्तक होकर मोहम्मद अली और उसकी पत्नी बच्चों को शहर के सबसे महंगे होटल में ले गए। वहां पहुंचकर एक खाली मेज देखकर उसके इर्दगिर्द बैठ गए और मोहम्मद अली ने एक बैरे को खाने का मेनू लाने के लिए कहा। वह बैरा तो क्या, वहां पर उपस्थित सभी लोग मोहम्मद अली और उसके परिवार को ऐसे देखने लग गए जैसे कि वह कोई चोर हों। जब मोहम्मद अली ने अपने मेज के पास से गुजरते हुए एक बैरे को रोका और पूछा कि आप लोग हमारे लिए खाने का मेनू कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे, तब उस बैरे ने बड़े नफरत भरे अंदाज से उत्तर दिया, ''हमारे होटल में काले रंग के लोग और कुत्तों को अन्दर आने की इजाजत नहीं है, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग यहां आ कैसे गए?'' इतना सुनते ही मोहम्मद अली का भी खून खौल गया, आखिर वह भी बॉक्सिंग का विश्व चौंपियन था, दोनों तरफ खूब हाथापाई-मारपीट शुरू हो गई और मोहम्मद अली ने उस होटल के चार-पांच लोगों की अच्छी धुनाई कर दी। होटल के मैनेजर ने झट से फोन करके पुलिस बुलवा ली और मोहम्मद अली पर होटल में जबरदस्ती घुसने और मारपीट करने और फर्नीचर की तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया। पुलिस उस वक्त तो मोहम्मद अली को पकड़कर ले गई, मगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकी। और ऐसे इस घटना के बाद मोहमद अली के बच्चों को भी जिन्दगी भर का एक सबक मिल गया कि मां-बाप की बात मान लेने में ही भलाई होती है।

दशरथ मांझी:

दशरथ मांझी नाम की इस महान विभूति को कौन भूल सकता है, जिन्हें आजकल ''माउन्टेन मैन'' के नाम से भी जाना जाता है। वह बिहार में गया जिले के करीब गहलौर गांव में रहने वाला एक गरीब खेत मजदूर था, और उन्होनें केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले अपनी हिम्मत के सहारे ही 360 फुट लम्बी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। 22 वर्षो के अत्यंत ही कठिन परिश्रम के बाद, दशरथ मांझी द्वारा बनाई सड़क ने अतरी और वजीरगंज ब्लाक की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर मात्र 15 किलोमीटर ही कर दिया।

गहलौर गांव में 1934 में जन्मे इस सज्जन ने ये साबित किया है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं, कोई ताकत नहीं, मगर उसने इतना बड़ा पहाड़ खोदकर उस में से सड़क बनानी, उनकी जिन्दगी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर इंसान दृढ़ निश्चय करले तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते है, बस उस काम को करने की दिल में जिद्द और जनून होना चाहिए। उनकी 22 वर्षो की कठिन मेहनत से उन्होंने अकेले ही अपने गांव को शहर से जोड़ने वाली एक ऐसी सड़क बनाई जिसका उपयोग आज आसपास के सभी गांव वाले करते हैं। दशरथ मांझी की शादी कम उम्र में ही फाल्गुनी देवी से हो गई थी। एक दिन जब दशरथ मांझी खेत में काम कर रहा था और उसकी पत्नी, नित प्रतिदिन की भांति अपने पति के लिए खाना ले जाते समय पहाड़ से फिसलकर गिर गई और गम्भीर रूप में घायल हो गई, और उस वक्त वह गर्भवती भी थी। दशरथ मांझी उसे उठाकर घर ले आया मगर उसे इलाज के लिए शहर ले जाना था, जिसके लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। गांव के अमीर ठाकुर लोग जिनके पास गाड़ियां थी, दशरथ मांझी उन सब के पास बारी-बारी से गए और मदद के लिए विनती की कि उसकी पत्नी को गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा दें, मगर पूरे गांव में किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में उसने पत्नी को बैलगाड़ी पर लेटाया और शहर की ओर चल दिया। देर शाम को जब वह अस्पताल पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल करके बताया कि उसने पत्नी को अस्पताल लाने में बहुत देर कर दी, खून ज्यादा बहने से फाल्गुनी का निधन हो गया। अगर फाल्गुनी देवी को समय रहते अस्पताल ले जाया गया होता, तो शायद वो बच जाती। यह बात उसके अन्दर तक इतनी बुरी तरह चुभ गई कि दशरथ मांझी ने संकल्प कर लिया कि, भले ही सरकार या और कोई संस्था उसकी सहायता करें या न, वह अकेले ही पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे, ताकि देर से डॉक्टरी सहायता न मिलने की वजह से गांव के किसी और व्यक्ति को मौत न देखनी पड़े। तो ऐसे संकल्प में बंधे हुए उसने गहलौर की पहाड़ियों में से रास्ता बनाना शुरू किया। इन्होंने बताया, ''जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा- कि ऐसे कभी हुआ है कि एक अकेला आदमी इतनी ऊंची पहाड़ी को काटकर, वह भी बिना मशीनों और विस्फोटक पदार्थो के, सड़क बना दे। लेकिन मैंने अपने पक्के निश्चय और मजबूत इरादे

शेष पृष्ठ 3 पर

क्रूर संस्कृति, दमन और घूटन से भागती लड़किया

सविता कदियान पंवार

अंकित सक्सेना की हत्या के बाद अंकित की हत्या का जो कारण सामने आया उसे हम चाहे हॉरर किलिंग कहेगे या लव जेहाद कह ले या ऑनर किलिंग कहे। इस घटना ने आज फिर एक सवाल सामने आता है आज देश के अनेको हिस्सो में ऐसी घटनाओं के मामले सामने आते हैं पर जब कि मामला भारत देश की राजधानी दिल्ली के एक क्षेत्र की हो क्योकि यह घटना न किसी रेगिस्तान में नही, बीहड जंगल में नहीं या सीरिया या अफगानिस्तान में नहीं देश की राजधानी दिल्ली मे घटती है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक ऐसी घटना जिसमें एक नौजवान लड़के का दिनदहाड़े भरी पब्लिक के सामने चाकू से गला काट दिया जाता है। और जब इस घटना की वजह को लड़की का घर से भागने की धमकी का डर सामने आता है । इस समस्त घटनाक्रम में एक बात सामने आती है कि लड़की घर से भागने को क्यों मजबूर है क्योंकि भारत जैसे देश में कम उम्र के बच्चों समझदार नहीं समझा जाता चाहे वह लडका हो या लडकी। बच्चो के बालिग होने पर भी उन्हें कानूनी अधिकार तो मिल जाते है पर परिवार द्वारा 18 का होने पर भी समझदार नहीं समझा जाता विशेषकर लडकियों को खासतौर पर कि उन्हें कब जाना है कब आना है, कहां जाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ घूमना है, कहां पढाई करनी है, किससे शादी करनी है और कौन सा करियर अपनाना है या नहीं अपनाना आदि फैसले भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लड़की या महिलाएं परिवार की सहमति से ही लेती हैं क्योंकि भारतीय परिवार में ज्यादातर की सोच होती है कि स्वेच्छा से फैसले लेने की आजादी लड़कियों को बिगाड़ सकती हैं और वह लड़कियों को बिगड़ने का कोई चांस नही देना चाहते। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि जो ऐसे सोच वालों में ज्यादातर वे होते हैं जिन माता पिता व भाईयो ने स्वयं भी लव मैरिज की हुई है और अपने समय में लड़कियों या महिलाओं को भी छेड़ते थे और ऐसे ही लोग अपनी बेटी, बहन को प्रेम विवाह की इजाजत नहीं देते। यह सब बेटी बहनों और लड़कियों की भलाई के लिए नहीं वरना अपनी मर्दो के अपने वर्चस्व भरे मर्दवाद की रक्षा के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा समाज, संस्कृति, ऐतिहासिक काल से पुरुष प्रधान रहा है। वह महिलाओं को कम अक्ल वाली कमजोर समझते हैं और स्त्रियों को काबू में रखने के लिए सारे फैसले स्वयं लेते है। भारत के मुकाबले विकसित देशों की सोच खुली है वहां सभी समान रूप से सांस ले सकते है लेकिन भारत सहित अनेक मुस्लिम देशों में दकियानूसीसोच, धर्म, और पिछड़ी संस्कृति के काण लड़कियो को आजादी से जीने व निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं और ऐसे समाज ही साम्प्रदायिक नफरत, धर्माधता और पिछड़ेपन तथा क्रूरता का शिकार बने हुए हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही के अपने फैसले में कहा है कि दो बालिग अखिर अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो खाप पंचायत जैसी संस्थाओं को उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कब तक हमारा समाज अपनी सड़ी-गली सोच और पुरानी मान्यताओं के चलते भारतीय समाज कब तक गुटन भरा रहेगा और कब तक हम बच्चों का प्रेम के अपराध मे गला काटते रहेगे ।

***

लड़कियां घर से नहीं भागती, इस समाज की क्रूर संस्कृति, दमन और घुटन से भागती हैं

हिमांशु कुमार

भारत में अपने से छोटी उम्र वालों को कमअक्ल समझना हमारी संस्कृति है। हमारे यहां यह माना जाता है कि ज्यादा अक्ल उसी को होती है जो ज्यादा उम्र का होता है। हम घर में अपने से छोटी उम्र के सदस्यों को हमेशा कम अक्ल मानते हैं। हमारे बच्चे हमारे सामने कभी भी बालिग नहीं माने जाते 18 साल का होने के बाद एक व्यक्ति को कानूनन बालिग मान लिया जाता है। लेकिन भारतीय परिवारों में 18 साल का होने के बाद बालिग होने के अधिकार नहीं मिलते। खासतौर से लड़कियों को भारतीय परिवारों में एक बालिग नागरिक के अधिकार नहीं दिए जाते। लड़की कहां जाएगी, कहां नहीं जा सकती, कब जा सकती है, कितने बजे घर लौटना है, किसके साथ घूम सकती है, किसके साथ दोस्ती कर सकती है, किसके साथ प्रेम कर सकती है, किससे शादी कर सकती है, क्या पढ़ाई कर सकती है, वह अपना कौन सा कैरियर चुन सकती है ? यह सब फैसले भारत में माता पिता के रहते हुए उनकी बेटी को लेने का अधिकार नहीं है। मेरी इस बारे में कई माता-पिताओं से बहस हुई है। और भारतीय माता-पिता बड़े फख्र से कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं दे सकते। भारत में यह माना जाता है कि अगर हमारी संतानें खास तौर से हमारी बेटी अगर अपनी मर्जी से फैसले ले लेगी तो वह बिगड़ जाएगी और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन मां बाप ने खुद प्रेम विवाह किया है। जिन भाई ने खुद प्रेम विवाह किया है, या जो भाई मोहल्ले में लड़कियां छेड़ते फिरते हैं, वह भी अपनी बहन को न तो प्रेम करने की इजाजत दे सकते हैं, न दोस्ती की, न अपनी मर्जी से घूमने-फिरने की यह सब लड़कियों की भलाई के लिए नहीं किया जा रहा। बल्कि यह मर्दो के अपने वर्चस्व और मर्दवाद की रक्षा के लिए किया जा रहा है।

भारत में धर्म और संस्कृति मर्द प्रधान है। यहां यह माना जाता है कि स्त्रियां कम अक्ल और कमजोर होती है, औरतों को काबू में रखना और उनके बारे में सारे फैसले करने का अधिकार मर्द को होना चाहिए। भारत में मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा है कि स्त्री को बचपन में पिता के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए। औरत को कभी भी आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में अगर हम देखें तो जिन समाजों में महिलाओं को समान नागरिक माना गया है और संतानों को स्वतंत्रता दी गई है, वह समाज विकसित हुए हैं। उनमें प्रगति हुई है और वह खुले हुए समाज हैं जिसमें आप सांस ले सकते हैं। लेकिन भारत और बहुत सारे मुस्लिम देश जो धर्म और पिछड़ी संस्कृति के कारण अपनी संतानों को आजादी से अपनी जिंदगी नहीं जीने देना चाहते और उन पर अपना काबू रखना चाहते हैं। उन समाजों में न तो विज्ञान की नई खोजें हो रही हैं। वह समाज सांप्रदायिक नफरत धर्माधता और पिछड़ेपन तथा क्रूरता का शिकार बने हुए हैं। भारत को एक सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। अपनी पुरानी सड़ी-गली दकियानूसी मान्यताओं धारणाओं और क्रूर रिवाजों के रहते हुए भारतीय समाज ऐसा ही घुटन भरा समाज बना रहेगा और हम बच्चों को प्रेम करने के अपराध में उनका गला काटते रहेंगे। भारत में लड़कियां घर से नहीं भागती लड़कियां इस समाज की क्रूर संस्कृति दमन और घुटन से भागती हैं। और आप तलवारें लेकर उनकी गर्दन काटने के लिए पीछे-पीछे भागते हैं। बंद कीजिए यह सब जाहिलपन एक सभ्य समाज बनिये खुद पर ध्यान दीजिये।

http://www.janchowk.com/ART-CULTUR-SOCIETY/our-society-and-culture-girls-bond/1980

***

करोड़पतियों को रास नहीं आ रहा भारत, दुनिया के 6वें सबसे धनवान देश भारत धनकुबेरों के पलायन में दूसरे नंबर पर

तीन लाख से ज्यादा सर्वाधिक अमीर देश में न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया में 6वां सबसे ज्यादा अमीर देश है। देश की कुल संपत्ति 8230 अरब डॉलर है। देश में 330400 लोग ऐसे हैं जो सर्वाधिक अमीर लोगों की श्रेणी में आती हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर चले जाते हैं तो देश में सिर्फ गरीब ही बच जाते हैं। इनके देश छोड़ कर विदेश में बसने के बावजूद देश में हर साल अमीरों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। चीन और अमेरिका से अमीरों का पलायन कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि यहां से जितने अमीर देश छोड़कर चले जाते हैं उससे ज्यादा हर साल अमीर बन जाते हैं।

लगातार बढ़ रहा अमीरों का पलायन

दुनिया के कई देशों में अमीरों का पलायन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के लिहाज से देखें तो 2015 में 4000 धनवानों ने भारत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 6000 हो गई। 2017 में भारत छोड़कर जाने वाले अमीरों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस साल देश से कुल 7000 अमीर पलायन कर चुके हैं। सरकारों को उम्मीद है कि पलायन कर रहे सुपर रिच निवासी इन देशों में रहन-सहन सुधरने पर वापस आएंगे। उम्मीद है कि देश का पैसा सूद समेत वापस यही लौट कर आएगा।

आखिर कहां जा रहे भारत के अमीर भातीय धनकुबेरों के लिए अमेरिका पसंदीदा जगह बन गई है। अमेरिकी उनकी पहली पसंद है। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। दुनिया में ये पांच जगह हैं जहां भारत के अमीर पलायन करके वहां बस रहे हैं। इन देशों में संपत्ति खरीद कर वे अपना ठिकाना बना रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चीन से पलायन कर रहे धनकुबेरों की पहली पसंद अमेरिका ही है।

http://inextlive.jagran.com/7000-super-rich-leave-india-for-rich-countries-in-2017-201802050004?utm_source=JagranFacebook&utm_medium=Social&utm_campaign=IX_BusinessandFinance_LT_050218

***

पृष्ठ 2 का शेष

महान दलित विभूतियों .....

के चलते हुए यह सब सम्भव कर दिखाया।''

इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए उसे 22 वर्ष (1960-1982) लगे और अतरी और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी 55 किमी से घटकर 15 किमी तक रह गई। दशरथ मांझी का यह पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत प्रयास एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। उसके इतने बड़े कार्य के लिए अखबारों/मैगजीनों/टीवी इत्यादि में चर्चा तो हुई, मगर इनाम के नाम पर एक मेहनतकश इंसान को मिला कुछ भी नहीं। बिहार की सरकार ने उसे पांच लाख रूपये देने की घोषणा भी की, मगर यह धनराशि उसे कभी वितरण नहीं की गई। बिहार की राज्य सरकार ने उनकी इस उपलब्धि के लिए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव भी केन्द्रीय सरकार को भेजा, मगर उसे यह भी मिला कभी नहीं। कारण- दशरथ मांझी भी एक दलित परिवार से सम्बन्ध रखने वाला इंसान था और यह तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति और कुचाल ही कहेंगे, कि दलित लोग जितना मर्जी बड़ा असम्भव कार्य करके दिखा दें, समाज को उसे जितना मर्जी फायदा पहुंचा हो, मगर तथाकथित बड़े लोग कभी सम्मानजनक धनराशि, इनाम और पद प्रतिष्ठा देने में हमेशा से अवेहलना करते ही आये हैं। दशरथ मांझी के साथ भी यही कुछ हुआ। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अपने एक टीवी सीरियल ''सत्यमेव जयते'' में उसके इस महान कार्य पर एक एपिसोड भी बनाया, उसे दो-ढाई करोड़ की कमाई भी की मगर, उसके परिवार को घर बनाने के लिए वादा की हुई धनराशि 15 लाख रूपये कभी नहीं मिले। अगर यही असम्भव सा कार्य दशरथ मांझी की जगह किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ने किया होता तो सरकार ने उसे कब से भारत रत्न प्रदान कर दिया होता और न जाने देश की कितनी बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने उसे दिल खोलकर कितनी बड़ी-बड़ी धनराशि भी इनाम में दे दी होती। दशरथ माँझी की 17 अगस्त, 2007 को दिल्ली में मृत्यु हो गई थी।

फ्रांस के एक बहुत बड़े विद्वान, राजनैतिक विश्लेषक और दार्शनिक- रूसो ने बहुत वर्ष पहले कहा था कि अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि आपका देश खूब उन्नति, विकास करे, प्रगति की बुलंदियां छुए और इस पथ पर हमेशा आगे बढ़ता ही रहे तो इसके लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि समाज में रहने वाले सभी धर्मो और जातियों के लोगों को पढ़ाई-लिखाई के बराबर अवसर दिए जाएं। किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों का समय-समय पर यथा सम्भव मान-सम्मान व सराहना भी होनी चाहिए, ताकि समाज के अन्य लोगों के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत बनते रहें। मगर हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि यहां पर जातिपाति आधारित अनेकों मतभेद, शोषण और तिरस्कार हजारों वर्षो से होते आए हैं, यही कारण है कि हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले वैज्ञानिक उन्नति, विकास और प्रगति की श्रेणी में विकासशील देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि आबादी की दृष्टि से हम पूरी दुनियां में दूसरे नंबर पर हैं। जितनी जल्दी से जल्दी यह सिलसिला बदला जाएगा/विसंगतियां दूर की जाएंगी, पूरे देश और समाज के लिए उतना ही बेहतर, लाभकारी और हितकारी होगा।

http://www.dalitdastak.com/great-dalit-leader-forgoted/

***

पदमावती बनाम फूलनदेवी

आज हमारे देश में संविधान के तहत महिलाओं को सभी समानता, न्याय और बराबरी के वो तमात अधिकार प्राप्त हैं जिसे प्राप्त कर महिलाएं जीवन मे आगे बढ रही हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोगो की सोच में कितनी संकीर्ण है।

आज महिलाओं के प्रति इनकी यह सोच स्पष्ट करती है कि आज भी यह कितना भेदभाव करते हैं। जिसका जीता जागता उदाहण वर्तमान में दिखाई देता है। पदमावत बनाम फूलनदेवी। पदमावत मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा एक महाकाव्य है। जबकि महारानी पदमावती को राजपूत अपनी शान से जोडकर देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पदमावत के मुताबिक रानी पदमिनी चितौड़गढ के रावल रतन सिंह की पत्नी थी, 450 साल पहले सूफी साहित्यकार मालिक मोहम्मद जायसी के लिखे पदमावत के मुताबिक वो सिंहलद्वीप की राजकुमारी थी, हरिमन तोता पदमावती और रतनसिंह के प्यार से स्वयंवर तक की कड़ी और संदेशवाहक था। चितौडगढ से करीब 800 किलोमीटर दूर दिल्ली मे यह समय सल्तनत काल था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चितौड पर हमला किया। चितौड पर यह किसी मुस्लिम का पहला हमला था इतिहास में इस हमले से जुड़े कई कहानियां मिलती हैं। यह सारी बाते इतिहासकार अलाउद्दीन के लेखन पर आधारित हैं। जिन्होंने इतिहास मे राजपूतों पर हुए आक्रमण को अपने लेखों में प्रदर्शित किया। जब खिलजी ने चितौडगढ़ पर आक्रमण किया तब रानी पदमावती ने सभी महिलाओं सहित जौहर करने का निर्णय किया उनके अनुसार दुश्मनों के हाथ लगने से बेहतर जौहर करना था। जौहर में शाही महिलाएं दुश्मनों के साथ रहने की बजाय स्वयं को एक विशाल अग्निकुंड में न्योछावर कर देती है ।

वहीं दूसरी तरफ निचली जाति की महिला फूलनदेवी जिसका 15 साल की उम्र में रेप हो जाता है और फिर दहशत का दूसरा नाम दस्यु सुंदरी फूलनदेवी। फूलनदेवी के डकैत बनने की कहानी किसी के भी रोंगटे खडे कर सकती हैं, कम उम्र में शादी, सामूहिक बलात्कार और फिर इंदिरा की पहल पर आत्मसमर्पण। चंबल में दहशत का दूसरा नाम रही फूलनदेवी के डकैत बनने की कहानी किसी के भी रोगटे खड़े कर सकती है। 10 अगस्त 1963 को जन्मी फूलनदेवी न सिर्फ सांसद रहीं बल्कि वो एक समय में अपने समय की चंबल की सबसे बड़ी डकैत भी रही लेकिन एक मासूम सी फूलन ने क्यों बंदूक थामी और फिर क्यों इसे छोड साफ जिंदगी जीने का फैसला किया।

यह थी दो महिलाओं की कहानी। अब यहां देश के लोगों की मानसिकता की बात करते है जो लोग समानता की बाते करते हैं उनकी खुद की सोच में कितना अंतर दिखना है जहां ऊंची जाति की पदमावती ने अपने सतीत्व को बचाने के लिए आत्महत्या की और दूसरी तरफ निचली जाति की फूलनदेवी जो अन्याय के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ी और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई । आज जो सुसभ्य और सुसंस्कृत लोग जो पदमावती के शील और चरित्र की बातें कर रहे है या संजयलीला भंसाली को जान से मारने पर 10 करोड का इनाम और दीपिका की नाक काटने पर 1 करोड का इनाम घोषित कर रहे हैं, जिन्होने 1996 मे रिलीज हुई शेकर कपूर की फिल्म बैन्डिड क्वीन में फूलन को नग्न देखकर सीटियां बजाई थी। बैन्डिड क्वीन फिल्म में फूलन को कई बार नग्नावस्था में दिखाया गया था, लेकिन क्यों उस वक्त कोई सेना नहीं आई इसका विरोध करने।

क्या फूलन देवी महिला नहीं थी? क्या फूलन देवी किसी की बेटी नहीं थी? क्या फूलनदेवी इस देश की बेटी नहीं थी ? रानी पदमावती को लेकर अनेक विवाद पैदा हुए कोई कहता हैं कि पदमावत नामक किरदार में इतिहास में नहीं था कोई कहता हैं कि रानी पदमावती तो इतिहास में थी पर बाकी कहानिया काल्पनिक हैं लेकिन जो भी हो पदमावत बैन हो जाने से इतिहास नहीं बदलता और रिलीज होने से भी नहीं बदलता सिर्फ चित्रण बदलता है घटना नहीं यह घटना यह बताती है कि रजवाडों के दौर में महिलाओं की बहुत दुर्गति थी वरना सैकड़ो औरतों का आत्मदाह कोई जुनुन नहीं लाचारी थी अलाउद्दीन को कमीना कहने से मन को तसल्ली मिलती है लेकिन द्रोपती चीरहरण के पीछे कोई खिलजी नहीं था। उसके अपने क्षत्रिय ही थे द्रोपति को वस्तु की तरह दांव पर लगा कर बेइज्जत किया। सीता के साथ भी कोई अच्छा सुलूक नहीं हुआ लेकिन हम अतीत पर हंगामा करते हैं। देश में औसतन रोजाना 28 गैंगरेप हो रहे हैं लेकिन फ्रिक किसे हैं भला हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जिन्होंने महिलाओं को हिन्दू कोड बिल के माध्यम से संवैधानिक अधिकार दिए।

विडंमना यह है कि आज हमारे पास इतिहास है भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। जबकि तमाम विकसित देश 100 साल का एडवांस प्लान लेकर चल रहे हैं। हम सिर्फ तमाशबीन हैं इसलिए 'टाइगर' सलमान पर्दे पर आंतकियो को मारकर 300 करोड कमा कर चुका। हमारे फौजियों की विधवाओं को पेंशन के लिए भी मुकदमा लड़ने पड़ते हैं।

बहरहाल आखिर पदमावती और फूलनदेवी के बारे में चर्चा पर यह बात सामने आती है कि आखिर सच जो भी हो लेकिन पदमावती के गुणगान के पीछे वजह यह थी कि उसने अपने सतीत्व को बचाने के लिए अपनी जान दी थी कितने दुख की बात है कि आज 2017-18 में सतीप्रथा को लेकर कितना आदर है। अगर पदमावती पर बुरी नजर रखने वाला खिलजी गलत था तो क्या फूलन देवी का बलात्कार करने वाले सही थे। भारतीय समाज खुद को कितना भी सभ्य सुसंस्कृत व महिलाओं का आदर करने वाला स्त्रीवादी दिखाने की कोशिश क्यों न करे लेकिन अंदर से वह घिनौना व भयानक ही था और अंत मे सच्चाई तो यही है कि देश में विशिष्ट जाति, धर्म, वर्ग की महिलाओं को ही सम्मान है सभी भारतीय महिलाओं को नहीं।

***

एक स्त्री को सती होता देख बेहोश हो गया था इब्न बतूता

चौदहवीं सदी में भारत की यात्रा पर आए इब्न बतूता ने एक स्त्री को सती होते खुद अपनी आंखों से देखा था।

सुरेंद्र किशोर

पद्मावती के जौहर की चर्चा के बीच सती प्रथा का आंखों देखा हाल जानना आज दिलचस्प होगा। चौदहवीं सदी में भारत की यात्रा पर आए इब्न बतूता ने एक स्त्री को सती होते खुद अपनी आंखों से देखा था। उसके लिए वह अत्यंत पीड़ादायक दृश्य था। परिणामस्वरूप बतूता घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए थे। बतूता ने लिखा है कि 'मैं यह हृदय विदारक दृश्य देख कर मूर्छित हो घोड़े से गिरने को ही था कि मेरे मित्रों ने संभाल लिया और मेरा मुख पानी से धुलवाया।' इब्न बतूता ने यह भी लिखा कि स्त्री को इस तरह जलाने की अनुमति सम्राट देते थे। क्रूर सती प्रथा का वर्णन इब्न बतूता ने विस्तार से किया है।

सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने चलाया था अभियान

इब्न बतूता अरब देश से 22 साल की उम्र में विश्व भ्रमण पर निकल पड़े थे। वे तीन दशक तक घूमते रहे। इब्न बतूता ने यात्रा वृतांत में भारत के उस सदी के शासकों, सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि का रोमांचक आंखों देखा हाल वर्णित किया है। याद रहे कि सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने बाद में अभियान चलाया और सन् 1829 में अंग्रेज शासक ने इस पर रोक लगाई। इससे पहले मुस्लिम शासक भी स्वेच्छा से सती होने के कृत्य पर रोक नहीं लगाते थे। वे इसे हिंदुओं का एक धार्मिक कृत्य मान कर हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेज और मुस्लिम शासक इस बात का ध्यान जरूर रखते थे कि किसी महिला को कोई जबरन सती न बना दे। इस बात का जिक्र अबुल फजल ने भी 'अकबरनामा' में किया है। दहेज प्रथा, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आज के युग में एक हद तक सती प्रथा की तरह ही मारक साबित हो रही है। आज का दहेज विरोधी कानून, दहेज पिपासुओं के खिलाफ बेअसर ही साबित हो रहा है। इन दिनों बिहार सरकार ने इसके खिलाफ अभियान चला रखा है।

जब घोड़ों पर सवार होकर स्त्रियां सती होने निकलीं... सती प्रथा का चौदहवीं सदी में कैसा स्वरूप था, वह इब्न बतुता के शब्दों में पढ़िए, 'एक बार मैंने भी एक हिंदू स्त्री को श्रृंगार किए घोड़े पर चढ़कर जाते हुए देखा था। हिंदू और मुसलमान इस स्त्री के पीछे चल रहे थे। आगे-आगे नौबत बजती जाती थी और ब्राह्मण साथ-साथ थे। घटना का स्थान सम्राट की राज्य सीमा के अंतर्गत होने के कारण बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए जलाना संभव नहीं था। आज्ञा मिलने पर यह स्त्री जलाई गई। हिंदुओं में प्रत्येक विधवा के लिए सती होना आवश्यक नहीं है। परंतु पति के साथ स्त्री के जल जाने पर वंश प्रतिष्ठित गिना जाता है और उसकी भी पतिव्रताओं में गणना होने लगती है। सती न होने पर विधवा को मोटे-मोटे वस्त्र पहन कर महाकष्टमय जीवन तो व्यतीत करना ही पड़ता है, साथ ही वह पति परायण भी नहीं समझी जाती।'

स्त्रियों को आग में कूदता देख बेहोश हो गया था इब्न बतूता

इब्न बतूता ने एक युद्ध में शहीद हुए तीन जवानों की विधवाओं का वर्णन किया है। बतूता ने लिखा 'इन तीन स्त्रियों ने तीन दिनों तक खूब गाया बजाया और नाना प्रकार के भोजन किए। इनके पास चारों ओर की स्त्रियों का जमघट लगा रहता था। चौथे दिन इनके पास घोड़े लाए गए और ये तीनों बनाव श्रृंगार कर सुगंधि लगाकर उन पर सवार हो गईं। इनके दाहिने हाथ में एक नारियल था, जिसको ये बराबर उछाल रही थीं और बाएं हाथ में एक दर्पण था जिसमें ये अपना मुख देखती थीं। चारों ओर ब्राह्मणों और संबंधियों की भीड़ लगी थी। प्रत्येक हिंदू आकर अपने मृत माता-पिता, बहन, भाई और अन्य संबंधी या मित्रों के लिए इनसे प्रणाम कहने को कह देता था और ये हां-हां कहतीं और हंसती चली जाती थीं। मैं भी मित्रों के साथ यह देखने को चल दिया कि ये किस प्रकार से जलती हैं। तीन कोस जाने के बाद हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जल की बहुतायत थी और वृक्षों की सघनता के कारण अंधकार छाया हुआ था। यहां चार मंदिर बने हुए थे।' 'मंदिरों के निकट पहुंचने के बाद इन स्त्रियों ने उतर कर स्नान किया और कुंड में एक डुबकी लगाई। वस्त्र आभूषण उतार कर रख दिए और मोटी साडियां पहन लीं। कुंड के पास अग्नि दहकाई गई। सरसों का तेल डालने पर उसमें प्रचंड शिखाएं निकलने लगीं। पंद्रह पुरुषों के हाथों में लकडियों के बंधे हुए गट्ठे थे और दस पुरुष अपने हाथों में लकड़ी के बड़े-बड़े कुंदे लिए खड़े थे। नगाड़े, नौबत और शहनाई बजाने वाले स्त्रियों की प्रतीक्षा में खड़े थे।

स्त्रियों की दृष्टि से बचाने के लिए लोगों ने अग्नि को एक रजाई की ओट में कर लिया था। परंतु इन में से एक स्त्री ने रजाई को बलपूर्वक खींच कर कहा कि क्या मैं जानती नहीं कि यह अग्नि है, मुझे क्यों डराते हो? इतना कह कर वह अग्नि को प्रणाम कर तुरंत उसमें कूद पड़ी। नगाड़े, ढोल, शहनाई और नौबत बजने लगी। पुरुषों ने अपने हाथों की पतली लकड़ियां डालनी प्रारंभ कर दीं। और फिर बड़े-बड़े कुंदे भी डाल दिए गए जिससे स्त्री की गति बंद हो गई। उपस्थित जनता भी चिल्लाने लगी। मैं यह हृदय द्रावक दृश्य देख कर मूर्छित हो घोड़े से गिरने को ही था कि मेरे मित्रों ने संभाल लिया और मेरा मुंह पानी से धुलवाया। संज्ञा लाभ कर मैं वहां से लौट आया।'

https://hindi.news18.com/news/nation/watching-a-woman-being-a-sati-ibn-battuta-became-unconscious-1250621.html

***

प्यार तभी तक अच्छा लगता है, जब तक वह घर-परिवार से बाहर नजर आए

हमारे लोग प्रेम से इतना डरते क्यों हैं

आशिमा

ज्यादा दिन नहीं हुए जब पूरा देश विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के प्रेम विवाह की तारीफों के कसीदे पढ़ रहा था। शादी की शक्ल में मुकम्मल हुआ उनके प्रेम-संबंध का सुहाना सफर सभी चैनलों और अखबारों में छाया रहा। सोशल मीडिया पर 'विरुष्का' का हैशटैग चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी शादी के रिसेप्शन में शिरकत की और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं। इस जुगल जोड़ी की एक-एक तस्वीर प्रेम की सफलता की मिसाल सी लगने लगी। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद और वैलंटाइंस डे से उतने ही दिन पहले, अंकित जैसे नौजवान की दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम का 'गुनाह' करने के कारण सरेआम हत्या की खबर आई, वह भी राजधानी दिल्ली में। यह कैसा विरोधाभास है, कैसी विडंबना है! यह समाज एक तरफ प्रेम को सेलिब्रेट करता है, दूसरी तरफ उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाता।

प्रेमजल से सिंची संस्कृति :

मतलब प्रेम अगर फिल्मों में हो, खबरों में हो, पड़ोस में हो तो अच्छा लगता है। बस हमारे अपने परिवार में पैर पसारने की जुर्रत वह न करे। हमारे घर की देहरी के भीतर घुसते ही प्रेम को कुचल दिया जाएगा। वक्त आ गया है कि आम भारतवासी अब 'प्रेम' को लेकर अपने मन का मैल अच्छे से साफ कर लें। यह सच है कि प्रेम के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं है, बशर्ते उसको सही अर्थों में लिया जाए। प्रेम किसी दिन या समय का मोहताज नहीं, लेकिन भारतीय समाज में यह दिन प्रेम की मौजूदगी और उसकी अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया है। आखिर वजह क्या है जो लगातार विरोध के बाद भी अपने यहां इसे मनाने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है? लाख विरोध के बावजूद देश में वैलंटाइंस डे पर करोड़ों का बाजार खड़ा दिखता है। यहां इजहार-ए-मुहब्बत के कई तरीके और तोहफे मौजूद रहते हैं। इनके खरीदार आपके घर में नहीं होंगे, ऐसा आपको क्यों लगता है?

जो लोग इस दिवस को माता-पिता से जोड़ते हैं, वे भी अपने नादान होने का ही परिचय देते हैं। माता-पिता के प्रति सच्चा प्रेम है क्या, यह जानने में भी हमसे चूक ही होती रही है। भारत में माता-पिता के प्रति सदियों से चली आ रही फर्ज अदायगी को ही उनके प्रति प्रेम माना गया है। उनकी हर बात सर झुका कर, बिना अपनी राय रखे मान लेना ही उनके प्रति प्रेम समझा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या बच्चों और माता-पिता के बीच किसी तरह के स्वस्थ संवाद की गुंजाइश नजर आती है॰ क्या आज्ञाकारी बेटी या बेटा बन जाना ही माता-पिता के प्रति सच्चा प्यार है। माता-पिता के साथ बच्चों का रिश्ता तब कहीं ज्यादा फलता-फूलता दिखेगा, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे को समझते हों। उनके बीच स्वस्थ संवाद होता हो। फर्ज अदायगी को किनारे रखकर लोग एक-दूसरे के दिल का हाल जानते हों। दोनों पीढ़ियां

असहमतियों और जब-तब की नोक-झोंक के साथ-साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती हों।

यूं ही नहीं कहा जाता कि केवल बच्चे बड़े नहीं होते, बल्कि बच्चों के साथ-साथ मां-बाप भी बड़े होते हैं। प्रेम भी ऐसी ही जगह पनपता है। वरना इस देश में अधिकतर रिश्ते फर्ज अदायगी के नाम पर ही निबाहे जाते हैं। माता-पिता के साथ भी वैलंटाइंस डे मनाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए खुद से सवाल करें कि आखिर उनके प्रति आपका प्रेम सही मायने में मुकम्मल हो पाया है या नहीं॰ या फिर सारी जुगत सिर्फ एक अच्छी बेटी या अच्छा बेटा बन जाने तक ही सीमित है। इस फेहरिस्त में कई ऐसे महान बच्चे भी हैं जो इस दिन प्रेमी या प्रेमिका की अनदेखी करके अपने माता-पिता को वैलंटाइंस डे विश करते हैं। प्रेमी या प्रेमिका को बाकायदा नजरअंदाज करके माता-पिता से किस तरह के प्रेम का इजहार होता है, यह बात समझ के बाहर है। इससे स्थापित होने वाली महानता का तो कुछ सिर-पैर ही नहीं मिलता। किसी भी रिश्ते की असल कसौटी आप खुद हैं। इसके बजाय अगर किसी और को कसौटी बनाकर- चाहे वह प्रेमी-प्रेमिका हों या मां-बाप- रिश्तों का मोल आंकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप एक भुलावे में जी रहे हैं।

प्रेमी जोड़ों के प्रति इस खास दिन दिखने वाली नफरत पर वापस लौटें तो दुनिया को अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाने के दावे करने वाला हमारा देश आज नई पीढ़ी के साथ ऐसी हिंसा पर उतारू क्यों हो गया है॰ जिस संस्कृति को बचाने की दुहाई देकर हिंसा को अंजाम दिया जाता है, वह क्या बिना प्रेम के जिंदा रह पाएगी? सवाल यह भी है कि प्रेम करने से आज किसकी सल्तनत को खतरा है? किसी भी संस्कृति की असल विरासत प्रेम ही होती है। यूं कहें कि संस्कृतियां प्रेमजल से सिंचकर ही फलती-फूलती हैं। इनके स्वघोषित ठेकेदार बिना प्रेम के किस तरह समाज में सौहार्द कायम करना चाहते हैं? क्या इनके पास सद्भावना की कोई जगह ही नहीं है? प्रेम से वंचित ये कौन लोग हैं, जो दुनिया को भी प्रेम से वंचित कर देना चाहते हैं? इनकी पहचान मुश्किल नहीं है लेकिन इनसे संवाद में जाना लगभग असंभव है।

सबसे पहले खुद बचें :

किसी दिन को विशेष उत्सव के रूप में मनाना या ना मनाना पूरी तरह निजी चुनाव का मामला है। वैलंटाइंस डे के साथ भी ऐसा ही है। न तो कोई इस दिन को न मनाकर कम आधुनिक नहीं हो जाएगा, और न ही कोई सिर्फ इसे मना लेने भर से बहुत आधुनिक हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में प्रेम के सही अर्थ को आत्मसात करना एकमात्र विकल्प है। सिर्फ ताकत और पैसे की भाषा समझने वाले इस दौर में प्रेम को अपनाकर ही आप भीतर से खुद बचेंगे और आपकी संस्कृति, आपकी यह दुनिया भी आपके बचाने से ही बचेगी।

– नवभारत टाइम्स से साभार

***

दिल्ली की इकाइयों ने जनसभाएं की

दलित, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक (डीओएम) परिसंघ की दिल्ली इकाई द्वारा 26 दिसंबर, 2017 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आरक्षण बचाओ रैली में पूरा सहयोग किया गया। इसमें सहयोग करने वाले व्यक्तियों को दिल्ली प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ. उदित राज जी के निवास टी-22, अतुल गोव रोड, नई दिल्ली मीटिंग करके उनका आभार व्यक्त किया और इसी तरह आगे भी सहयोग करने की अपेक्षा की। मीटिंग में रैली की सफलता पर समीक्षा भी हुई साथ ही साथ दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों की सभी क्षेत्रों में भागीदारी हेतु चर्चा हुई और 27 फरवरी, 2018 को अपरान्ह 2 बजे ये 7 बजे तक डीओएम परिसंघ के दिल्ली प्रदेश के गठन हेतु पहला कार्यकर्त्ता सम्मेलन मावलंकर हॉल, रफी मार्ग, नजदीक पटेल चौक मैट्रो, पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमे 85 प्रतिशत बहुजन लोगों की जनसंख्या के हिसाब से सभी क्षेत्रों, जैसे- सेना, खेल, मीडिया, जमीन, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु आदि पर चर्चा होगी और भावी योजना बनाकर भागीदारी का आंदोलन देश के सभी राज्यों, जिला, विधान सभा व तहसील स्तर पर कमेटी बनाकर किया जाएगा। अब अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सभी एकजुट होकर परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में अपनी सभी क्षेत्रों में भागीदारी की बात करने लगे हैं। इसी तरह से मैं परिसंघ के और राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों व महासचिवों सहित, मंडल, जिला, विधान सभा कमेटी के भी सक्रिय लोगों से अपील करता हूं कि वे संगठन को मजबूत करने हेतु कमेटी का गठन करके राष्ट्रीय कार्यालय को सूची दें। कमेटी का गठन करने के उपरांत जगह-जगह मीटिंग आयोजित करें एवं कार्यालय खोलें। यदि सक्रिय लोगों की बड़ी मीटिंग हो तो राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली को सूची दें। यदि बड़ी जनसभा रखते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी से समय लेकर उन्हें भी आमंत्रित कर सकते हैं।

डॉ. उदित राज जी के साथ ओम प्रकाश सिंहमार राष्ट्रीय महासचिव

डॉ. उदित राज जी जनता को संबोधित करते हुए

डॉ. उदित राज जी के साथ परमेन्द्र जी

डॉ. उदित राज जी जनता को संबोधित करते हुए

– बाबू लाल
संगठन मंत्री, दिल्ली प्रदेश
9918023024

भीमा कोरेगांव का दंगल

बापू राऊत

भीमा कोरेगांव 2 जगहों के नामों के मेल से बना है। भीमा नदी का नाम है, जो कोरेगांव नाम के एक गांव से गुजरती है, इसीलिए इस गांव को भीमा कोरेगांव कहा जाता है।

यह गांव पुणे से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस गांव में एक स्मृतिस्तंभ है, जिसे अंग्रेज सरकार ने बनवाया था। इस स्तंभ को विजयस्तंभ या शौर्यस्तंभ भी कहा जाता है। इस शौर्यस्तंभ को देखने के लिए हर साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र के दूरदराज से लोग आते हैं। आजकल तो देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहां आने लगे हैं।

इस साल भी 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का शौर्यस्तंभ बनने के 200 साल पूरे होने के मौके पर लाखों लोग आ रहे थे, लेकिन कुछ कट्टर लोगों ने भीमा कोरेगांव को योजना बना कर दंगल का मैदान बना दिया।

ऐसे में भीमा कोरेगांव के वीरता से भरे इतिहास के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों देश का दलित तबका इस शौर्यस्तंभ को अपनी विजयगाथा के रूप में देख रहा है, क्या है भीमा कोरेगांव का इतिहास? भीमा कोरेगांव की जड़ें सामाजिक नाइंसाफी और वर्ण व्यवस्था से जुड़े जोरजुल्म से संबंध रखती हैं। सन 1680 में शिवाजी की हत्या और उन के बेटे संभाजी के 1689 में औरंगजेब द्वारा मारे जाने के बाद उन के राज्य को उन के ब्राह्मण सलाहकार पेशवाओं ने हड़प लिया था। सत्ता में आते ही देशस्थ ब्राह्मण पेशवाओं ने वर्ण व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का हुक्म दिया था।

दलितों को मंदिरों व तालाब में जाने और पढ़ाई-लिखाई करने की मनाही थी। दलितों द्वारा किसी ऊंची जाति वाले को छू लेना पाप समझा जाने लगा था। दलितों के रास्ते पर चलते समय थूकने के लिए गले में मटका और रास्ता साफ करने के लिए कमर पर झाड़ू बांधी जाती थी। उन्हें 12 बजे के पहले और 3 बजे के बाद रास्ते से गुजरना मना था। उन्हें गांव के बाहर बदहाली में रहना पड़ता था। अगर कोई दलित मंदिरों के आसपास भी दिखता था तो उस को सजा देने का पेशवा का हुक्म था। अगर रास्ते में कोई ब्राह्मण मिलता था तो दलितों को पेट के बल जमीन पर लेट कर हाथ जोड़ने का नियम था। बाजीराव के समय अगर कोई भी दलित पेशवा के तालीमखाने के सामने से गुजरता था, तो गुलटेकडी के मैदान में उस दलित के सिर को गेंद और तलवार को डंडा बना कर खेल खेला जाता था।

बांबे गजट 1884-85 में लिखा है कि अगर कोई भी दलित गांवों में कुएं के पास से गुजरेगा तो उस की छाया कुएं पर न पड़े, इस डर से उसे घुटने के बल चलना पड़ता था। दलितों पर कोई भी जुल्म हो, उसे उन्हें सहना पड़ता था। वे किसी के पास गुहार नहीं लगा सकते थे। उन के पास कुछ भी हक नहीं थे। नए किले, इमारत, पुल, तालाब के बनने के समय पायाभरणी में दलितों की बलि दी जाती थी। यह बड़ी दर्दनाक प्रथा थी। लोक कथाओं में इस का साफतौर पर जिक्र किया गया है। उस समय उन्हें दलित नहीं कहा जाता था। लेकिन दलितों के पास जुल्मों को सहन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वजह, वे मालीतौर पर लाचार थे। पर कोई भी तबका ऐसी बेइज्जती और नाइंसाफी कब तक सहेगा किसी का साथ मिलने के बाद वह आवाज तो उठाएगा ही। उन के दिमाग में बैठा दिया गया था कि यह दंड उन्हें पिछले जन्म के पापों के कारण मिले हैं।

तब दलितों (महारों) की अपनी अलग फौज थी। वे लड़ाके थे, लेकिन व्यवस्था से पूरी तरह जकड़े हुए थे। लड़ाई के समय भी उन्हें ऊंची जाति के सैनिकों को छूना मना था। उन के तंबू अलग बने होते थे। उन का खाना अलग पकाया जाता था। राजा अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए आपस में लड़ाई करते थे। जैसे हिंदू राजाओं के पास मुसलिम सैनिक थे, वैसे ही मुसलिम शासकों के पास हिंदू सैनिक हुआ करते थे। उन्हें जहां इज्जत और अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी, वहां वे नौकरी करते थे। धर्मांधता लोगों पर हावी नहीं थी।

1 जनवरी, 1818 को अंगरेजों और बाजीराव पेशवा द्वितीय के बीच नदी के किनारे कोरेगांव में लड़ाई होने वाली थी। लड़ाई से पहले दलितों (महारों) ने पेशवाओं के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर हम आप के साथ मिल कर अंगरेजों के खिलाफ लड़ते हैं, तब हमारे सामाजिक हालत में बदलाव होगा और इनाम के तौर पर जमीन देने की पेशकश रखी गई थी। लेकिन पेशवाओं ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर में महार सैनिकों ने अंगरेजों के साथ मिल कर पेशवाओं के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। इस लड़ाई में अंगरेजों के साथ केवल 500 महार सैनिक थे। इन महार सैनिकों ने पेशवा की 25000 सैनिकों की फौज को हराया था। इस लड़ाई में बहुत से महार सैनिक मारे गए थे। इन सैनिकों की याद में अंगरेजों ने भीमा कोरेगांव में एक शौर्यस्तंभ खड़ा किया था, जिस पर 22 महार सैनिकों के नाम लिखे गए थे। इस तरह दलितों ने अपनी बेइज्जती और नाइंसाफी का बदला लिया था।

इन महार सैनिकों को नमन करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे। उन के बाद उन के अनुयायी हर साल वहां जाने लगे। पेशवा के राज के बाद वहां के दलितों के सामाजिक और माली हालात में बदलाव आना शुरू हुआ था। अंगरेज शासक भारत में केवल दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर शासक साबित हुए थे। उन के समय से बहुजन समाज में सामाजिक, माली व धार्मिक बदलाव होने शुरू हो गए थे। उन्हें पढ़ने लिखने के मौके हासिल हुए थे। आगे चल कर आजाद भारत में संविधान द्वारा उन्हें वे हक मिलने लगे थे, जिन्हें सदियों से मनुस्मृति ने जकड़ रखा था। धर्मशास्त्रों से बहुजनों को मिले छुटकारे से धर्म के ठेकेदारों और शास्त्रों की हिमायती जमात को झटका लगा था। उन्हें अपनी पुरानी मनुवादी सोच को मजबूत करना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बनने को इसी नजरिए से देखना चाहिए।

आज संघ और उस की कई शाखाओं ने देश के सामने वही माहौल खड़ा करने की कोशिश की है। दूसरे दलों के बहुत से नेता भी इसी सोच के हैं, पर वोटों की खातिर चुप रहते हैं। 1 जनवरी, 2018 से 5 दिन पहले वढू गांव में गोविंद गणपत गायकवाड़ की समाधि की छत को शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था। संभाजी भिड़े ने इस संस्था शिवप्रतिष्ठान को बनाया है। जब औरंगजेब के हुक्म पर शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को पकड़ कर उन को मार कर नदी में फेंक दिया था तो उसी गोविंद गणपत गायकवाड़ ने नदी में उतर कर संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़ों को जमा किया था और उन टुकड़ों को सिल कर उन्हें जलाया गया था। उसी जगह पर संभाजी महाराज की समाधि बनाई गई थी। गोविंद गायकवाड़ की समाधि भी वढू गांव में संभाजी महाराज की समाधि के पास बनी है। संभाजी भिड़े के शिवप्रतिष्ठान द्वारा इस के विरोध में प्रचार किया जा रहा है। कुछ गांव वालों के मुताबिक, जब समाधि की छत तोड़ी गई तब यहां पर दंगा कराने की धमकी दी गई थी।

भीमा कोरेगांव के शौर्यस्तंभ पर महार सैनिकों को नमन करने के लिए महाराष्ट्र और देश के अनेक राज्यों से 1 जनवरी, 2018 को लोग आने लगे थे। इस साल शौर्यस्तंभ के 200 साल पूरे होने के मौके पर ज्यादा लोग आ रहे थे। इन लोगों पर अचानक मनोहर उर्फ संभाजी भिड़े के शिवप्रतिष्ठान और हिंदू एकता के अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले से योजना बना कर हमला किया गया। इस हमले में 40 गाडियों को तोड़ा और जला दिया गया। पत्थरबाजी में अनेक बच्चे, औरतें और मर्द घायल हो गए। एक आदमी की जान भी चली गई। इस बवाल की वजह रहे मनोहर उर्फ संभाजी भिड़े और हिंदू एकता के अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे. उन के ऊपर एट्रोसिटी ऐक्ट के तहत एफआईआर दाखिल हो गई, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस रिकौर्ड के मुताबिक उन पर पहले भी मामले दर्ज हुए हैं।

संभाजी भिड़े व मिलिंद एकबोटे हिंदुत्व का सहारा ले कर मराठा नौजवानों को मुसलिमों और दलितों के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन को झूठा, मनगढंत इतिहास बताया जा रहा है। संभाजी भिड़े के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हो चुके हैं, इसीलिए शायद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आखिर आतंक फैलाने वाले ऐसे लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। क्या दलितों पर हुए हमले को सरकारी समर्थन हासिल है? आज तक कभी भी भीमा कोरेगांव के लोगों ने 1 जनवरी को अपनी दुकानें बंद नहीं की थीं, लेकिन इस साल गांव में बंद रखा गया। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा बाकायदा गांव में बंद रखने का प्रस्ताव पास किया गया। लोगों को मारने के लिए पहले ही पत्थर लाए गए थे। दंगाइयों के हाथों में भगवा झंडे थे। वायरल हुए वीडियो में दंगा करने वाले लोग पुलिस प्रशासन अपने साथ होने का दावा कर रहे थे। ब्राह्मणी व्यवस्था व मीडिया ने इसे दलित बनाम मराठा और दलित बनाम हिंदू का रूप दिया।

दलितों पर हुए हमले के विरोध में और संभाजी भिड़े व मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार करने के लिए दलित संगठनों द्वारा महाराष्ट्र में बंद रखा गया। यह बंद भीमा कोरेगांव के निहत्थे लोगों पर किए गए हमले के विरोध में था, लेकिन पुलिस ने बंद में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाला, उन के ऊपर केस दर्ज किए गए। मीडिया ने भीमा कोरेगांव के इस कांड को जानबूझ कर नहीं दिखाया। सच को दबाने की कोशिश की गई। उलटे दलितों को ही इस का जिम्मेदार बताया जाने लगा। भीमा कोरेगांव दंगे के विरोध में जिन लोगों ने आंदोलन किया, उन्हें कौंबिंग आपरेशन द्वारा पकड़ा जा रहा है, लेकिन जिन्होंने दंगा शुरू किया उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वे न केवल खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि कुछ को पुलिस प्रोटैक्शन दी गई है। उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद ने दंगाइयों के विरोध में अपनी हिफाजत के लिए आवाज उठाई तो उन पर रासुका लगा दिया गया। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें देशद्रोही कहा गया। क्या भारत भी अब धार्मिक तालिबानी सोच की ओर बढ़ रहा है सहिष्णु भारत में लोग असहिष्णु बन रहे हैं। देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़ा वर्ग को इस स्थिति से निबटने के जवाब ढूंढ़ने होंगे।

– मासिक सरस सलिल से साभार

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

GOVT WHICH IS UNABLE TO ENSURE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF RESERVED CATEGORY DOESN'T DESERVE TO RULE CONFEDERATION SEEKS RESTORATION OF RESERVATION IN PROMOTION AND STOPPAGE OF ATROCITIES AGAINST SC/ST/OBC's; HOLDS RALLY AT JDA PARKING; SUBMITS MEMORANDUM TO GOVERNMENT.

Hundreds of cadre from all over the State of All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations, holding hoardings citing charter of demands held a grand rally at JDA Parking Opposite Hari Singh Park Jammu seeking restoration of reservation in promotions, clearing backlog of thousands of vacancies meant for SC/ST/OBC's, Waiver of admission fees for students belonging to eligible SC/ST/OBC and poor students, Implementation of 27% reservation for OBC's and enhancement of income slab for the OBC's at par with that at the centre,Extension of SC ST(Prevention of Atrocities Act.),State budgetary allocation for special component plan adequate provisions for strict utilization of same, Providing shelter homes to the homeless, the poor and deprived, Providing equal opportunities to SC/ST/OBC's in the matter of posting/transfers on strategic posts, Political reservation to Scheduled Tribes, Devising mechanism for redressal of atrocities upon SC/ST/OBC's

and extension of jurisdiction of National Commission for SC and ST's to the J&K State, Opening of Special Police Stations for Scheduled Castes and Scheduled Tribals in eveey district, Extension of SC, ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Reservation in private sector for SC/ST/OBC's, Open coaching centers for All India Services, New, Welfare schemes for Wattal/Safai karamcharis/Refugee,Adequat e budgetary allocation under SCP/STP, Stop Dilution of ST Status, Reservation in Private Sector,Result oriented coaching centre for SC/ST/OBC,Opening of National SC-ST Hub for development of Entrepreneurs. The Government had deputed Additional DC Jammu to accept the memorandum of demands and it was handed over to him by the Confederation. Speaking on the occasion, Mr. R.K. Kalsotra, State President, said that The Government which has not been able to ensure reservation rights to reserved categories of the state doesn't have any right to rule. The concept of good governance points to complete satisfaction of entire citizenry and the charter of demands in the memorandum signals that a lot needs to be done in this respect. The state government has not been able to ably defend its own Reservation Act, enacted by Late Mufti Sahib, in the High Court and this fact led to the quashment of the provisions relating to reservation in promotion last year. Inspite of the stay by the Supreme Court on the said judgment the State government is reluctant to promote the employees belonging to the reserved categories as per the Reservation Act and rules framed thereunder. Empowerment of deprived is essential to raise happiness quotient and the demands raised by the Confederation should be worked upon immediately failing which the Confederation shall be coerced into adopting different modes of protest including Assembly Gherao.Kalsotra also paid tributes to Asifa Banoo,8 year old little girl and prayed for the departed soul. Others who spoke on the occasion included Mushtaq Badgami, Ramesh Sarmal, B.L .Bharadwaj, Sawar Choudhary, Bansi Lal Choudhry, Shiv Pangotra, Yasser Khan, Darshan Lal, Aishan Ali, Roshan Chowdhary, Rashida Begum, Adv Anwar Ch. Susheel Kumar, Mohd. Shafi, Kuldeep Kumar, Ashiq Wattal, Parveen Jaryial , Shouket Najar, Noor Mohd, Rashid Pood, Varun Bhardwaj, Zakir Nimaz, Tariq Ch, Sonia, Soba Ram, Dina Nath, Rakesh Shavan , Rohit Vikas, Hans Raj Attri, Dev Sony, Rajni Bala, Sarpanch Ramesh, Amir-Ud-Din Kasana & others.

***

Prevention of cow slaughter : By faith or by Law ?

Yesterday Subramanium Swamy, a Member of Rajya Sabha, moved his private member's bill on Prevention of cow slaughter where there was a provision of death sentence for those who slaughter cows . While doing so he referred to the debates in the Constituent Assembly on article 48 of the Directive Principles of State Policy of the Constitution which talks about prevention of slaughter of cows and other milch and draught animals and breeding of high quality cattle for the cause of agriculture. Dr. Swamy said that dr. Ambedkar supported the prevention of cow slaughter in the Constituent Assembly. I went through the debates of the Constituent Assembly on Article 47 and found that Dr. Ambedkar had not uttered a single word on the issue. In the statement of objects and reasons of the Bill Dr. Swamy also invoked Mahatma Gandhi and supported his claim for death sentence by quoting Mahatma Gandhi. I have researched and written about Mahatma Gandhi's ideas on cow protection and one line from his speech delivered in 1924 in Belgaon in Karnataka that cow protection is part of Hindu faith and law should not be used in independent India for imposing the idea of cow protection on others who follow and pursue other faiths. In other words Mahatma Gandhi did not want use of secular instrument of law to enforce cow protection. He also had said that by imposing the idea of cow protection on Muslims and Christians an attempt was being made to convert them to Hinduism. I was amazed at the distortion of Ambedkar and Gandhi's thoughts right on the floor of Rajya Sabha by a nominated Member like Dr.Swamy.

https://www.facebook.com/satya.n.sahu.39/posts/10215247861774964

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

परिसंघ की वेबसाइट पर ऑनलाइन सदस्य बने

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की वेबसाइट www.aiparisangh.com पर अब ऑनलाइन सदस्यता का प्रावधान कर दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर कोई भी सदस्यता शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट करके वार्षिक एवं आजीवन सदस्य बन सकता है। इस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि सभी माध्यमों से पेमेंट की जा सकती है। अब कोशिश रहे कि ज्यादातर ऑनलाइन ही किया जाए, फिर भी यदि सदस्यता फार्म और डोनेशन की रसीदें छपी हुई चाहिए तो राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित मो . 9868978306 से सम्पर्क किया जा सकता है।

परिसंघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं। यदि प्रदेश या जिले स्तर के पदाधिकारी अन्य लोगों को सदस्य बना रहे हैं तो वे फार्म में रेफर्ड बाई के कॉलम में अपना नाम अवश्य लिखें, इससे राष्ट्रीय कार्यालय को पता लग सकेगा कि किस पदाधिकारी द्वारा कितना ऑनलाइन सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वेबसाइट पर परिसंघ का संक्षिप्त परिचय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिचय के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के फोटो के साथ पता एवं मोबाइल नंबर भी दिया गया है, (http://aiparisangh.com/office-bearers/) ताकि जो लोग अलग–अलग प्रदेशों से वेबसाइट देखें उन्हें पता लग सके कि उस प्रदेश के किस पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 'वॉयस ऑफ बुद्धा' भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 6 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 February , 2018

New Uplift for Dalit Progression

At the time of British India only, reservations for Scheduled Caste / Scheduled Tribe in government jobs and politics was obtained, and during the formation of the Constitution this was also incorporated into this provision. It ensured their participation in governance and administration, but economic upliftment was not going to be a timely change for these classes.Tribal Sub Plan was launched in 1974 for the development of Scheduled Tribes so that they could develop economically. According to their population, a specified amount form the planned budget was to be given under the Tribal Sub Plan. The schedule cast sub plan was brought in 1979 and its purpose was also similar to the Tribal Sub Plan. Till date these palns have never been given the proposed amount form the planned budget according to their population. Whatever the amount was allotted, was it sufficient to achieve the objectives? This has been and will always remain a question.

The common people are confused that the reservation in government jobs in a solution for the economic upliftment of the Dalits and the Tribals, whereas it is for their participation in governance.Schedule Cast Sub Plan and Tribal Sub Plan were originally brought for the economic empowerment of these sections. It has been observed that the allocation of the funds remains to around 50 percent and the amount that is given to them is not properly spent. The amount spent can considered correctly spent only when it is spent on Dalit and Tribal Individual, families, or settlements which is often not found. This money is used to build bridge, roads, jails etc which is not the purpose of these funds at all.Many state governments cannot afford to spend or misuse them. The undivided Andhra Pradesh Legislative Assembly tried to make the right use of this money by making a harsh law. After which, the Karnataka Government also made such efforts. Initially, the amount of plan budget was more and gradually the balance between the planned and non-planned got worse and now the amount of non-plan budget has increased more.The scheme for plan and non-plan budget were removed from 017-18. There is no difference in the allocation of funds and the situation is like before. The total budget of the year 2018-19 has been kept at 24,42,213 crores. The budget for Scheduled Castes, 56,619 crores and Tribals have been kept at 39,135 crores.

This approach has been adopted for decades. From the Parliament to the Road and from time to time, voices have been raised that these schemes are not able to achieve their goals. Many suggestions came, but this approach was neither changed by the Planning Commission nor by the Niti Aayog.One suggestion remainsvalid is that schemes should be implemented in the combined participation and supervision of Niti Aayog, departments of the Government of India, the State Government, the District authorities and the people of these castes. This suggestion was not considered at all. From time to time, governments were seen concerned about implementation of these schemes and alsotook some steps, but no change was evident. If the desired results have not been achieved for so many days, should there be any alternative plan, which could lead to the rise of the Dalits and Tribals in the economic sector.Hundreds of government schemes were implemented for the poor through subsidy or other means but due corruption and the inaction of bureaucracy, the benefits could not be delivered.The procedures werechanged and the money is being sent directly to the beneficiary's account. This should be done in the case of scheduled caste / tribe also.

On analysis of budget 2018-19, it was found that out of total budget of Rs.56,619crore for Scheduled castes, Rs. 28,697.74 crores are for targeted plans. If this targeted scheme is not dissipated, the remaining Rs. 27, 921.26 crores can be converted to venture capital in form of debentures of blue chip companies for the Scheduled Castes, which will be given a monthly or quarterly fixed income.Rs. 27,921.26 crores if given on lottery or random basis by the purchase of debentures of Rs. 10 lakh per person at interest rate of 9 percent per annum, the regular income will be Rs. 7,500 per month, and such money will also remain invested as well.If every Dalit can get the benefit of this scheme, then 2,79,210 Dalit people will be benefitted by Rs. 7,500 per month per person.In the same way, the budget of Rs. 39,135 crore for the Tribals reduced by the plan budget of Rs. 19,613 crores leaves a remaining amount of Rs. 19,522 crores which if invested in similar manner will benefit 1,95,220 individuals with a regular income. A National SC/ST Hub has been made with Rs. 490 crores so that the SC/STs can be made a businessman, but it is seen that money is being wasted in conferences and meetings. There is an expectation of spending about Rs. 40 lakhs on a conference in Nagpur on 17thFebruary'18. Even 50 lakh rupees have been spent in an inaugural conference. Considering the speed of expenditure in such conferences and meetings, it can be said that this money will go in waste only. Why not make it a Venture Capital so that around 5000 Dalits can get a regular income.

***

The Time has Come for Minorities and Backward Class to Fight Together

DOM's First Conference in Mavalankar Hall, Delhi on 27 February, 2018

Dalit, OBC and Minority Confederation's (DOM) first conference is being organized on 27 February, 2018 (2:00 pm to 7:00 pm) in Mavalankar Hall, Constitution Club, Near Patel Chowk Metro Station, New Delhi. DOM Confederation was established before the rally of 26 December, 2018 by Hon'ble Dr. Udit Raj. This organization will be fighting for the rights of Minorities and Backward class people. Since a long it was being demanded to merge OBC and Minorities in ALL India Confederation of SC/ST Organizations but All India Confederation of SC/ST Organisations was established purely for SC/ST people. Keeping this in mind DOM is established. This organization is purely non political and has no connection with any political party.

People of all the organizations of Dalits, Minorities, Buddhists and OBC running all over India are being invited to attend this conference. You all are requested to inform the undersigned persons so that appropriate arrangements could be done.

Parmender, Convener, Mob. : 8826180767, Bablu Lal, Secretary, Mob. : 9918023024

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar